राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–345/2014

अशोक कुमार बाबेल

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.08.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी के वर्ष 2006–07 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में जो प्रतिकूल टिप्पणियां हैं, उन्हें निरस्त किया जायें। अपीलार्थी का आगे कथन रहा है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2006–07 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल टिप्पणियों को निरस्त किये जाने के लिए एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था, जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया है और प्रतिकूल टिप्पणियों को यथावत रखा गया है। अपीलार्थी की उक्त टिप्पणियों का प्रभाव अपीलार्थी की पदोन्नति पर पड़ा है एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति राजीव वर्मा को वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:–

> " It is, therefore, prayed that this appeal may kindly be allowed and
>
> (i) by an appropriate order or direction the adverse remarks communicated to the appellant by communication dated 26.2.2009 (Annexure-1) may kindly be declared to be illegal and the same may kindly be expunged and the rejection of the representation by communication dated 30.7.2010 (Annexure-3) may also kindly be declared to be illegal and the same may be quashed and set aside.
>
> (ii) By further appropriate order or direction the respondents may be directed to hold review DPC for the post of Superintending

Engineer and the appellant may kindly be ordered to be considered for promotion to the post of Superintending Engineer against the vacancy of 2009-10 or in the alternative the respondents may kindly be directed to treat the promotion of the appellant as Superintending Engineer against the vacancy of the year 2009-10 and then grant him seniority accordingly on the post of Superintending Engineer and then consider his case for promotion to the post of Additional Chief Engineer and Chief Engineer accordingly with all consequential benefits.

(iii) Any other appropriate order or direction which may be considered just and proper in the facts and circumstances of the case may kindly be passed in favour of the appellant.

(iv) Costs of the appeal may kindly be awarded in favour of the appellant."

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन डाउनग्रेडिंग/अपग्रेडिंग से सम्बन्धित वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय अधिकरण को प्राप्त नहीं है। सम्बन्धित प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारियों ने प्रशासनिक निर्णय लेते हुए अपीलार्थी के कार्य, व्यवहार एवं उसकी कार्यक्षमता इत्यादि सभी बातों पर नजदीकता से देखते हुए पूरे वर्ष के लिये समग्र रूप से विचार करते हुए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन निष्पक्षता से भरा गया जो कि सम्बन्धित प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी का प्रशासनिक कार्य, उसकी शक्तियों के अधीन था। अपीलार्थी के द्वारा इस प्रकार के प्रशासनिक कार्य को दुर्भावना एवं स्वेच्छाचारिता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, जबकि अपीलार्थी ने वर्तमान अपील में दुर्भावना एवं स्वेच्छाचारिता के तथ्य अंकित नहीं किए हैं और न ही किसी को पक्षकार बनाया है। अतः अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी को अधीक्षण अभियन्ता के पद की वर्ष 2009–10 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती है, क्योंकि अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन वर्ष 2006–07 (अवधि 1–12–2006 से 31–3–2007) में प्रतिकूल प्रविष्ठियां अंकित है, जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को यथासमय सूचित किया गया और अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार कर उसे अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया। इस प्रकार से अपीलार्थी

अधीक्षण अभियन्ता के पद की वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अनुतोष में वर्ष 2006–07 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकुल टिप्पणियों को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई हैं। जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्ठियों को हटाये जाने का प्रश्न है, तो हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण Tayyab Ali Vs State of Rajasthan 1988(2)WLN255 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः–

> *"We are therefore, of the opinion that an adverse entry in the Annual Performance Appraisal Report or any order rejecting representation against the same is not included within the ambit of Sub-clause (v) of Clause (f) of Section 2 of the Act; and, therefore, an appeal to the Tribunal merely against such an adverse entry or an order rejecting the representation against the same does not lie under the Act. We are also of the opinion that even though such an adverse entry or an order rejecting the representation against the same by itself is not appealable to the Tribunal as already stated, yet the correctness thereof can be assailed by the Government Servant while challenging any consequent order based on or influenced by it relating, to any of the matters specified in the several sub-clauses of Clause (f) of Section 2; and in that event the limitation for appeal to the Tribunal will be reckoned from the date of the consequent order and not the date of the adverse entry or the order rejecting the representation against it. We answer the above quoted question accordingly."*

5. उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते है कि प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में इस अधिकरण को विचारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

6. अपीलार्थी ने दूसरे अनुतोष के रूप में प्रार्थना की है कि जो प्रतिकुल टिप्पणियां वर्ष 2006–07 की वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित की गई हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी को वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया जावें। हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो वर्ष 2006–07 में प्रतिकुल प्रविष्टियां है, वो निम्न प्रकार से हैः–

"1. विभागीय कार्यों के विलम्ब गुणवत्तहीन निष्पादन को लेकर क्षेत्र में असन्तोष रहा। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में रूचि का अभाव रहा।

2. Could not take proper care of civil works."

7. अतः अपीलार्थी के वर्ष 2006–07 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकुल टिप्पणियों के आधार पर अपीलार्थी का कार्य असंतोषप्रद होना माना गया है। उपरोक्त टिप्पणियों की गंभीरता व तथ्यों को देखते हुए हम यह नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी की उपरोक्त टिप्पणियां नजरअंदाज किये जाने योग्य नहीं है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपरोक्त प्रतिकुल टिप्पणियों के आधार पर अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखने की सिफारिश करने में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।
8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में हम कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती हैं।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)